

कमिश्नर वाणिज्य कर, उर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री IVRCL Limited, B-1/90, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 031 / 13, 10.07.2013
प्रार्थी की ओर से श्री जी० एल० जोशी, विद्वान अधिवक्ता ।

उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री IVRCL Limited, B-1/90, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow. द्वारा दिनांक 10.07.2013 को उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें निम्न प्रश्न पूछे गये :-

a. Whether, once we have given the full Contract to the sub-contractor on back to back basis, the UPRNN is liable to pay any Tax as TDS and can deduct that amount from our payments?

b. Whether, the UPRNN is liable to pay Tax as TDS on the full amount of payment made by them to us, without deducting the amount paid by us to the sub-contractor?

Or,

c. Whether the UPRNN is required to deduct and pay Tax as TDS only on the amount arrived at after deducting the amount of the sub-contract awarded by us to the registered sub-contractor?

and,

d. Whether, the applicant is required to take certificate in shape of an order u/s. 34 (5) from its assessing authority directing UPRNN to deduct 4% only on the balance amount of the payment made by it the applicant after deducting the amount pertaining to the payment made by the applicant to the sub-contractor?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री जी० एल० जोशी उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उन्हें M/s U.P. Rajkiya Nirman Nigam, (UPRNN) द्वारा अनुबन्ध संख्या-225/Unit-10A/RNN/11, दिनांक 1304.2011, शताब्दी अस्पताल के निर्माण हेतु दिया गया है। उनके द्वारा M/s Sri Siddheshwar Engineers India Private Limited, Etawah को उपसंविदाकार के रूप में सिविल वर्क हेतु संविदा दी गई और उनको दिये गये भुगतान पर 4% कर की कटौती करके विभाग में जमा किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि समस्त कार्य M/s Sri Siddheshwar Engineers India Private Limited, Etawah द्वारा किया जा रहा है और वह कोई खरीद-बिक्री इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि UPRNN द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह अनुबन्ध के समस्त भुगतान पर कर, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 के अन्तर्गत प्रार्थी से कर की कटौती करेंगे। कहा गया कि इससे दोहरा कराधान होगा और यह प्रक्रिया उर प्रदेश वैट अधिनियम,

सर्वश्री IVRCL Limited / प्रा0 पत्र सं0-031 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2

2008 की धारा-34 (1) के प्राविधानों के विपरीत है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उार देते हुए हुए प्रार्थना-पत्र के निस्तारण का अनुरोध किया गया

3. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत निम्न प्रश्नों का उार दिया जा सकता है :-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है-

प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न उपरोक्त में से किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत इन प्रश्नों का उार नहीं दिया जा सकता है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सन्दर्भ में कहा गया कि उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (ङ) के अन्तर्गत आते हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राविधान का अवलोकन किया गया। उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (ङ) के अन्तर्गत यह विनिश्चय किया जा सकता है कि किसी क्रय या विक्रय के सन्दर्भ में कोई कर देय है अथवा नहीं एवं यदि देय है तो कर की दर क्या होगी। कर की परिभाषा उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (कछ) के अन्तर्गत निम्न भाँति है :-

“ कर ” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन समाचार पत्र को छोड़कर माल की खरीद या बिक्री या दोनों जैसी भी स्थिति हो, पर उद्ग्रहणीय कर से है और इसमें सम्मिलित रहेगा,-

(एक) बिक्री आवर्त पर देय वास्तविक कर के स्थान पर धारा 6 या धारा 6क के प्राविधानों के अधीन संदेय, यथास्थिति सहमति दर से या एकमुश्त, समाधान राशि;

(दो) उत्क्रमित इनपुट टैक्स की धनराशि।

(तीन) धारा 3-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर की धनराशि।

प्रार्थी द्वारा उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 (4) के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती के सन्दर्भ में प्रश्न किया गया है, उनके द्वारा किसी संव्यवहार विशेष पर कर की देयता या कर की दर के सन्दर्भ में कोई प्रश्न नहीं किया गया है। कर की परिभाषा के अन्तर्गत क्रय या विक्रय या दोनों पर देय कर, समाधान राशि, उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा धारा-3-ए के अन्तर्गत देय अतिरिक्त कर ही आते हैं। TDS की

सर्वश्री IVRCL Limited / प्रा0 पत्र सं0-031 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-3

कटौती को इसके अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। स्रोत पर कर की कटौती किस दर से होगी, इसके सन्दर्भ में, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 (4) एवं उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 (5) के अन्तर्गत विनिश्चय का अधिकार, कर निर्धारण अधिकारी को दिया गया है। यह प्रश्न उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। अतः इसका कोई उार नहीं दिया जा सकता है। तदनुसार उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 का प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 अगस्त, 2013

ह0 / 22.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ।